



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 192


दिनांक: 14/03/2023

अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर श्रीमति हरलीन बहल पत्नी श्री विनोद धर, अतिरिक्त मुख्य वास्तुविद् को मुख्य वास्तुविद् के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल-14 (₹144200 - 218200/-) में (जो कि छोटे वेतन आयोग में ₹37400-67000/- के पे-बैंड में ₹10000/- के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं।

2. यदि उपरोक्त अधिकारी को गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड जोकि ₹37400-67000/- के वेतनमान में ₹10000/- रू. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) [जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल-14 है] पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल-14 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. उन्हें आगे के कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति निदेशक (कार्मिक)-1 को भी प्रेषित करे। उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

4. उपरोक्त पदोन्नति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2019 के अनुसार पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित SLP(C) No. 026494/2019 शीर्षक 'अशोक कुमार बनाम कंवल कुमार व अन्य' एवं SLP(C) No. 001762/2020 शीर्षक 'निधि त्यागी बनाम कंवल कुमार व अन्य' के अंतिम निर्णय के अधीन हैं।



(विनीत जैन) 14/3/23
आयुक्त (कार्मिक)

सं.-एफ.10(04)2023/सी.सी./198

दिनांक:- 14/03/2023

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उप-राज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव।
2. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.के विशेष कार्याधिकारी।
3. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.के निजी सचिव।
4. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.के निजी सचिव।
5. प्रधान आयुक्त (कार्मिक/उद्यान),(भूमि प्रबंधन),(आवास), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
6. आयुक्त -(कार्मिक), (योजना)-I, II, लैंड पुलिंग,, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
7. मुख्य वास्तुविद्, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव
8. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
9. मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
10. निदेशक - (कार्मिक)-1, सतर्कता 1 - 2, योजना (समन्वय), लैंड पुलिंग, दि.वि.प्रा.।
11. उप निदेशक - (कार्मिक)-1, सतर्कता(प्रशा.), आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा.।
12. उप निदेशक (पी.एम.आई.एस), आदेश को दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी (योजना संस्था), दि.वि.प्रा.।
14. सहायक निदेशक -(कार्मिक)-1, पी.एम.आई.एस., गोपनीय कक्ष - 2, दि.वि.प्रा.।
15. उक्त उल्लिखित अधिकारी।
16. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।


(प्रमोद कुमार)
उप-निदेशक(गोपनीय शाखा)